

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2021

रायपुर, दिनांक

/ /2021

//कार्यालय-सूचना//

आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 (1) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) को प्रतिवर्ष अचल संपत्ति का विवरण पत्रक दिनांक 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना आवश्यक है।

अतः विधानसभा सचिवालय में पदस्थ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के समस्त अधिकारी/कर्मचारी संपत्ति विवरणीय पत्रक स्थापना शाखा से प्राप्त कर आवश्यक पूर्ति उपरांत दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक स्थापना शाखा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

आदेश से,



अपर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

82

पृ.क्रमांक

/वि.स./स्था./2021

रायपुर, दिनांक 4.01/2021

प्रतिलिपि

01. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
02. सचिव, मा. अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा।
03. विशेष सहायक, मा. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा।
04. निज सहायक, मा. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
06. सर्वर कक्ष।



उप सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा